

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- ९,१५/२०२५

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

- | | |
|--|--|
| 1. मदनलाल पुत्र घणशराम जाति
पालीवाल निवासी चन्दलाई जिला
पाली राज0। | 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
(भूमि धारक) सोजत जिला पाली |
|--|--|

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक: - 30/10/25

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चन्दलाई, प0ह0 सरदारसमन्द, भू-अ0नि0 क्षेत्र शिवपुरा तह0 सोजत में खाता सं0 266, में प्रार्थी अपना नाम मदनलाल पुत्र घनश्याम के स्थान पर मदनलाल पुत्र घणश राम राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमाये जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट चाही गई। उक्त त्रुटि के राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त करने के संबंध में पटवारी हल्का सरदारसमन्द, भू-अ0नि0 क्षेत्र शिवपुरा मय तहसीलदार सोजत की अनुशंषा सहित रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट अनुसार सरहद मौजा चन्दलाई, प0ह0 सरदारसमन्द, भू-अ0नि0 क्षेत्र शिवपुरा तह0 सोजत में खाता सं0 266, में प्रार्थी का नाम मदनलाल पुत्र घनश्याम के स्थान पर मदनलाल पुत्र घणश राम राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते हैं। तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



(मासिंगा राम)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 30/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद

हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत